FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

- कमला पत्नी मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज। –प्रार्थीया

बनाम

- उमराव पुत्र छगना निवासी ग्राम मजरा तेजपुरिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य। –अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111,128 भू0राज0अधि0 1956

नंबर 38 /2024

ऑनलाइन नंबर 2024/ 47

वकील प्रार्थी :– अशोक शर्मा वकील अप्रार्थीगण..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29.05.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 07.06.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अराई	
07/6/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. पत्रावली पूर्व अभियुक्त वास्ते तलबी दिनांक 21/6/24 को पेश हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। ...तलबी........हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते........तलबी अप्रार्थीगण......हेतु दिनांक 12.7.24.. को पेश हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अरांई	
	12/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर रहे। पत्रावली [illegible]...................... दिनांक 23/8/24... को पेश हो।	

नंबर व तारीख अहकाम जो इ[illegible] हुक्म की तामील में जारी हुए

15/25

[illegible] बनाम [illegible]

सम्मन नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए हैं। 20/8/25 को पेश हो

पेश हो

20/8/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप. I

[illegible] जवाब हेतु

पत्रावली दिनांक 7/11/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

7/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत (कब्जा [illegible]) [illegible] जवाब प्राप्त [illegible] [illegible] बहस हेतु [illegible] 21/1/26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

21/1/26. पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान अनु०। [illegible] पत्रावली दिनांक 4/2/26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

4/2/26. पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

मु0नं0 38/2024

1.कमला पत्नी मोहनलाल
2. जगदीश पुत्र मोहनलाल
3. योगनारायण पुत्र मोहनलाल
सर्वजाति ब्राह्मण सर्वनिवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1.उमराव पुत्र छगना
2. कालु पुत्र रामकरण
सर्वजाति सर्वनिवासी ग्राम मजरा तेजपुरिया तहसील अराई जिला अजमेर राज.
3.गणेश पुत्र छोटुलाल जाति जाट निवासी ग्राम निवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज
4. नाबालिग चेनाराम पुत्र रामदीन जरिये सरपरस्त माता बदाम देवी जाति जाट
5. बदाम देवी पत्नी स्व. रामदीन जाति जाट निवासी ग्राम अराई हाल निवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.
6. जयराम पुत्र राजू जाति जाट निवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.
7. जीतराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ग्राम मजरा तेजपुरिया तहसील अराई जिला अजमेर राज.
8. नाबालिग दिनेश पुत्र कैलाश संरक्षक सरपरस्त माता नर्वदा
9. नाबालिग मनीषा पुत्री कैलाश
10. नर्वदा पत्नी कैलाश
सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.
11. प्रधान पुत्र राजू
12.प्रभू पुत्र राजू
सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.
13. प्रहलाद पुत्र नारायण जाति जाट निवासी ग्राम मजरा तेजपुरिया तहसील अराई जिला अजमेर राज.
14. फूतर पत्नी छोटूलाल जाति जाट निवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.
15. बालू पुत्र माना जाति जाट निवासी ग्राम तेजपुरिया तहसील अराई जिला अजमेर राज.
16. मुकेश पुत्र छोटूलाल जाति जाट निवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.
17. मथरा पत्नी स्व. भागीरथ
18. मनभर उर्फ काली पत्नी मदन
19. महावीर पुत्र छगन
सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम मजरा तेजपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
20. रूपा पुत्र सूजा जाति जाट निवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.
21. रामधन पुत्र छगना
22. लक्ष्मण पुत्र दशरथ
23. सुगना पुत्र रामकरण
सर्वजाति जाट निवासी ग्राम मजरा तेजपुरिया तहसील अराई जिला अजमेर राज.
24. सुरेन्द्र पुत्र छोटूलाल जाति जाट निवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.
25. सीमा पुत्री भागीरथ जाति जाट निवासी ग्राम मजरा तेजपुरा तहसील अराई जिला अजमेर राज.
26. हेमराज पुत्र छोटूलाल जाति जाट निवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.
27. हरदयाल पुत्र सूजा जाति जाट निवासी ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.
28. चन्दा पुत्र भागीरथ
29. नन्दा पुत्र भागीरथ
30. लक्ष्मण पुत्र भागीरथ
31. लादी पत्नी भागीरथ
सर्वजाति गुर्जर सर्वनिवासीगण ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.
32. रतन पुत्र भैरू जाति गुर्जर निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.
33.नोरत गिरी पुत्र बिरदगिरी जाति गोसाई (गुंशाई) निवासी ग्राम अराई हाल निवासी ग्राम मजरा तेजपुरिया तहसील अराई जिला अजमेर राज.
34. मुकेश कूडी पुत्र रामराज
35. रामरतन पुत्र रोडू
36. रामराज पुत्र हरजी
सर्वजाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.
37. घीसा पुत्र रामनाथ
38. नोसर पत्नी रतना
39. बसराज पुत्र रतना
40. मदन पुत्र रतना
41. शिवराज पुत्र रतना
सर्वजाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.
42. छगना पुत्र रामरिख
43. छगनी पुत्री रामरिख
44. पांचु पुत्र रामरिख
45. मोती पुत्र रामरिख
46. सुशीला पत्नी स्व. हाथीराम
सर्वजाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम सील तहसील अराई जिला अजमेर राज.
47. प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा अराई जिला अजमेर राज.
48. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अराई जिला अजमेर राज.

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

...गण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री अशोक शर्मा एडवोकेट द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के ...पेश किया गया । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 850 पुराना खाता संख्या 809 ...सरा संख्या 3229 रकबा 8.7210 हैक्टेयर व खसरा नं. 1156 रकबा 0.3074 हैक्टेयर ग्राम अराई पटवार हल्का अराई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि पर पद बदरतुर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थीगण की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 27 की ग्राम अराई स्थित भूमि जिसकें खसरा नम्बर 3276 की कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 3229 के पश्चिम दिशा में है तथा अप्रार्थी संख्या 28 लगायत 32 की कृषि भूमि जिसके खसरा संख्या 4164/3227,4163/3228 है जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि की पश्चिम दिशा में स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 33 की कृषि भूमि जिसके खसरा नं. 3231 है जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि के उत्तर–पश्चिम दिशा स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 34 लगायत 36 की कृषि भूमि जिसके खसरा नं. 3230 है जो प्रार्थीगण की कृषि के उत्तर–पूर्व दिशा में स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 37 लगायत 41 की कृषि भूमि जिसके खसरा नम्बर 3262 है जो प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पूर्व दिशा में स्थित है तथा अप्रार्थी संख्या 42 लगायत 46 की कृषि भूमि जिसके खसरा नं. 3270 है जो प्रार्थीगण की दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन उपरोक्त भूमि को लेकर सीमा विवाद चलता रहता है, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 46 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि में हस्ताक्षेप करते रहते है जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद का विषय बना रहता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 46 आये दिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उनकी कृषि भूमि की सीमाओं के संबंध में विवाद करते रहते है।उपरोक्त खसरा नम्बरान के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 46 आये दिन प्रार्थीगण के साथ उनकी खातेदारी भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 48 श्रीमान तहसीलदार महोदय अराई के कार्यालय में सीमाज्ञान कराने हेतु आवेदन जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय, अराई के आदेश कमांक/भू.अ./सीमाज्ञान/22/187 03.05.2022 की पालना में दिनांक 15.06.2023 को मौके पर पहुंचे तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 46 ने मौके पर नाप चौक होने के बावजूद भी सीमाओं को लांघ कर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप जारी रखा। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 46 स्पष्ट खातेदारी रेवेन्यू रिकार्ड व ट्रेस में दर्ज है इसलिए प्रार्थीगण को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ अप्रार्थीगण संख्या 48 राजस्व रिकार्ड धारक है तथा राज्य सरकार का भू–अभिलेख प्रतिनिधि है एंव अप्रार्थी 47 के यहां अप्रार्थीगण की कृषि आराजी रहन है इसलिए सीमा विवाद एंव पत्थरगढी करवाने हेतु आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या नया 850 पुराना खाता संख्या 809 खसरा संख्या 3229 रकबा 8.7210 हैक्टेयर ग्राम अराई पटवार हल्का अराई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर सीमा ज्ञान करवाकर पत्थर गढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करावें एंव अप्रार्थी संख्या 48 को निर्देशित किया जावे कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना त्वरित गति से करने के आदेश प्रदान करावें ।

प्रकरण दिनांक 29.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा नोटिस तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई । दिनांक 09.05.2025 को बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे तथा दिनाक 21.11.2025 प्रतिवादीगण का जवाब बन्द कर एकपक्षीय कार्यवाही की गई । दिनांक 21.01.2026 को बहस सुनी गई ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया गया । वकील वादी की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं भूमि खाता संख्या नया 850 पुराना खाता संख्या 809 खसरा संख्या 3229 रकबा 8.7210 हैक्टेयर ग्राम अराई पटवार हल्का अराई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराईं जिला अजमेर राजस्थान भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/–रु पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 4/2/26...को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)